प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल)क्रमांक 1035/2009

याचिकाकर्ता पुरुषोत्तम सरीन

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ व अन्य

रिट याचिका (सिविल)क्रमांक 1053/2009

याचिकाकर्ता कु. उर्वशी अग्रवाल,

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

रिट याचिका (सिविल)क्रमांक 1086/2009

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता जीव राखन पंसारी,

विरुद्ध

उत्तरवादीगण नगर निगम, रायपुर व एक अन्य

तथा

रिट याचिका (सिविल)क्रमांक 1574/2009

याचिकाकर्ता दिनेश कुमार व एक अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

22 अप्रैल,2009 को आदेश हेतु सूचीबद्ध करें

सही/-

धीरेंद्र मिश्रा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल)क्रमांक 1035/2009

याचिकाकर्ता पुरुषोत्तम सरीन,प्रोपराइटर शिव सागर रेंस्टोरेंट पिता स्व. श्री भीमसेन सरीन, आयु लगभग 53 वर्ष निवासी-स्टेशन रोड लोधीपारा, रायपुर जिलाः रायपुर छत्तीसगढ़

विरुद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः सचिव, राजस्व विभाग डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)

2. कलेक्टर, जिलाः रायपुर, छत्तीसगढ़

3. अतिरिक्त तहसीलदार, रायपुर जिलाः रायपुर (छ.ग.)

4. रायपुर नगर पालिक निगम, द्वाराः आयुक्त, रायपुर जिलाः रायपुर (छ.ग.)

5. अमित कटारिया, आयुक्त, नगर पालिक निगम रायपुर रायपुर जिलाः रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सिविल)क्रमांक 1053/2009

याचिकाकर्ता कु. उर्वशी अग्रवाल,पिता श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आयु लगभग 45 वर्ष निवासी-स्टेशन रोड रायपुर जिलाः रायपुर छत्तीसगढ़

विरुद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः सचिव, राजस्व विभाग डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)

2. कलेक्टर, जिलाः रायपुर, छत्तीसगढ़

3. अतिरिक्त तहसीलदार, रायपुर जिलाः रायपुर (छ.ग.)

4. नगर पालिक निगम, द्वाराः आयुक्त, रायपुर जिलाः रायपुर (छ.ग.)

5. अमित कटारिया, आयुक्त,नगर पालिक निगम रायपुर रायपुर जिलाः रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल)क्रमांक 1086/2009

याचिकाकर्ता जीव राखन पंसारी, पिता श्री जागेश्वर प्रसाद पंसारी आयु लगभग 45 वर्ष, प्रोपाइटर मेसर्स अवि पान एवं जनरल स्टोर्स, स्टेशन रोड ,रायपुर निवासी- लिली चौक रायपुर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

उत्तरवादीगण 1. नगर पालिक निगम, द्वाराः आयुक्त नगर पालिक निगम मालवीय चौक रायपुर

2. आयुक्त, नगर पालिक निगम रायपुर

रिट याचिका (सिविल)क्रमांक 1574/2009

याचिकाकर्तागण 1. दिनेश कुमार (प्रोप्राइटर गीता जनरल स्टोर्स) पिता परसराम लखवानी, आयु लगभग- 41 वर्ष, निवासी- नहरपारा, पुराने देशबंधु प्रेस के पास, रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. गंगुमल (प्रोप्राइटर साईं बाबा फल), पिता श्री जमीयतमल छबलानी, आयु लगभग 63 वर्ष,निवासी- स्टेशन रोड रायपुर,जिला- रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

<u>उत्तरवादीगण</u>

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)
2. कलेक्टर, जिलाः रायपुर, छत्तीसगढ़
3 . नगर पालिक निगम, द्वाराः आयुक्त,रायपुर, जिलाः रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>उपस्थितः</u>

श्री बी.पी. शर्मा, अधिवक्ता : रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1035/09, 1053/09 व 1086/09 में याचिकाकर्तागण की ओर से

श्री सुनील ओटवानी , अधिवक्ता: रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1574/09 में याचिकाकर्तागण की ओर से

श्री आलोक बख्शी, शासकीय अधिवक्ता : समस्त रिट याचिकाओं में उत्तरवादी- राज्य की ओर से

श्री संजय के. अग्रवाल,अधिवक्ता सहित

श्री के. शकील, अधिवक्ता : समस्त रिट याचिकाओं में उत्तरवादीगण-निगम की ओर से

आदेश

(पारित करने का दिनाँक 22 अप्रैल,2009)

धीरेंद्र मिश्रा,न्यायाधीश

1. उपरोक्त याचिकाओं का इस एक ही आदेश द्वारा निराकरण किया जा रहा है, क्योंकि याचिकाकर्तागण ने उत्तरवादीगण द्वारा प्रारंभ की गई कार्रवाई पर आपत्ति जताई है, जिसमें उनकी दुकानों/आवासीय भवनों को ध्वस्त करके उन्हें नजूल भूमि के वैध कब्जे से बेद-खल कर दिया गया है।

2. याचिकाकर्तागण पुरुषोत्तम सरीन और कुमारी उर्वशी अग्रवाल का प्रकरण संक्षिप्त में यह है कि याचिकाकर्तागण और अन्य दुकानदारों ने रायपुर में रेलवे स्टेशन और तेलगहनी नाका के बीच सुभाष मार्ग पर अपनी दुकानें बनाई हैं। दशकों से उनकी दुकानों पर उनका शांतिपूर्ण और व्यवस्थित कब्जा है और उक्त दुकानें उनकी आजीविका का साधन हैं। वर्ष 1940 में वादग्रस्त भूमि के स्वत्व को लेकर तत्कालीन मालगुजारों और सी.पी. और बरार शासन के मध्य उनके एकमात्र साधन के रूप में विवाद हुआ और नागपुर उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मध्य प्रदेश राज्य भूमि का अनन्य स्वामी है। उपरोक्त निर्णय के बाद मध्य प्रदेश शासन ने याचिकाकर्तागण के कब्जे और याचिकाकर्तागण के पैतृक हित और स्वत्व को वैध कर दिया और प्रत्येक व्यक्ति को 30 वर्ष की अवधि के लिए स्थायी पट्टा देने पर सहमति व्यक्त की, शर्त के अनुपालन के बाद संबंधित प्राधिकारी द्वा-रा निर्धारित प्रीमियम का संदाय करना होगा। 30 वर्ष के स्थायी पट्टे के लिए और फिर 30 वर्ष के नवीनीकरण के प्रावधान सहित अनुशंसा की गईं।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में विविध याचिका क्रमांक 1231/92 प्रस्तुत की गई थी और उक्त याचिका में याचिकाकर्तागण के पक्ष में दिनांक 8.4.1992 को अंतरिम आदेश पारित किया गया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

तत्कालीन अतिरिक्त कलेक्टर और नगर निगम के प्रशासक ने एसोसिएशन को एक पत्र (अनुलग्नक पी-2) प्रेषित किया जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि प्रश्नाधीन सड़क के ऊपर 65 फीट चौड़ाई के भीतर के अतिक्रमणों को ही हटाया जाएगा। उपरोक्त विविध याचिका को दिनांक 7.12.1994 (अनुलग्नक पी-3) के आदेश द्वारा निराकरण किया गया था, चुँकि उत्तरवादीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया था, इस निर्देश के साथ कि यदि उत्तरवादी सड़क को चौड़ा करने के लिए इस भूमि को चाहते हैं, तो उन्हें विधि सम्मत आगे बढ़ना चाहिए और मनमानी नहीं करनी चाहिए। यद्यपि, राज्य शासन ने कोई नवीनीकृत पट्टा विलेख जारी नहीं की, जबकि उन्होंने इसके लिए आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण कर ली थीं। दूसरी ओर, याचिकाकर्तागण को छ.ग. भू राजस्व संहिता, 1959 (संक्षिप्त में संहिता, 1959) की धारा 133 के अधीन एक सूचना दिया गया, जिसमें याचिकाकर्तागण को अतिक्रमणकारी बताया गया यद्यपि,संहिता, 1959 की धारा 133 के अधीन कार्यवाही दिनांक 11.2.2009 (अनुलग्नक पी-4) के आदेश द्वारा समाप्त कर दी गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसी क्षेत्र के अन्य समान स्थिति वाले निवासियों द्वारा पुनः रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1676/09 प्रस्तुत की गई और इस न्यायालय ने दिनांक 9.2.2009 के आदेश (अनुलग्नक पी-5) द्वारा उसका निराकरण कर दिया। दिनांक 9.2.2009 के आदेश के अनुपालन में, नगर निगम अधिनियम, 1956 (संक्षिप्त रूप में 'अधिनियम, 1956') की धारा 322 और 323 के अधीन याचिकाकर्तागण को एक सूचना जारी किया गया, जो याचिकाकर्तागण को कभी नहीं दिया गया और उनकी चारदीवारी पर चिपका दिया गया। याचिकाकर्ता और अन्य व्यापारी उक्त सूचना का जवाब लेकर उत्तरवादी नगर निगम के कार्यालय गए, यद्यपि, चूँकि कोई भी जवाब स्वीकार करने को तैयार नहीं था, अतः उन्होंने उसे अभिरक्षक कमलदीप नामक व्यक्ति को सौंप दिया। तथापि, उत्तरवादी क्रमांक 5 ने अति तानाशाही ढ़ंग से विधि के नियमों की पूर्ण अवहेलना करते हुए तथा इस न्यायालय

द्वारा पारित पूर्व सुरक्षात्मक आदेश की अनदेखी करते हुए, निवासियों को केवल आधे घंटे की सूचना देकर सम्पूर्ण भवन को ध्वस्त कर दिया।

उपरोक्त कथनों के साथ, याचिकाकर्तागण ने प्रार्थना की है कि उत्तरवादीगण को नजूल भूमि पर याचिकाकर्तागण के शांतिपूर्ण कब्जे में बाधा डालने से रोका जाए;यह घोषित किया जाए कि याचिकाकर्तागण का संबंधित नजूल भूमि पर वैध कब्जा है; उत्तरवादी प्राधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्तागण के ढांचे का, जैसा कि वह मूल स्वरूप में था, स्वयं के व्यय पर पुनर्निर्माण करें; और ढांचे को गिराने में हुई चूक के लिए उचित क्षतिपूर्ति संदाय का भी निर्देश दिया जाए। यह भी प्रार्थना की गई है कि पुनर्निर्माण के बाद याचिकाकर्तागण को बिना किसी हस्तक्षेप के उक्त परिसर में व्यवसाय करने की स्वीकृति प्रदान की जाए और यदि सड़क चौड़ीकरण के लिए वास्तव में भूमि की आवश्यकता हो, तो वैकल्पिक, उचित और उपयुक्त स्थल उपलब्ध कराया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता जीव राखन पंसारी (रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1086/09) का प्रकरण संक्षिप्त में यह है कि वह रेलवे स्टेशन, सुभाष रोड, रायपुर के पास पान की दुकान और जनरल स्टोर्स चला रहे हैं। उन्होंने इन्हें अरुण परमार व अन्य से दिनांक 31.3.1999 को पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से 90,000/- रुपये में क्रय किया था (अनुलग्नक पी-2) नगरपालिका अभिलेखों में उनका नाम विधिवत रूप से नामांतरित कर दिया गया है (अनुलग्नक पी-3) वह दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अंतर्गत पंजीकृत दुकानदार हैं और उनका पंजीकरण प्रमाणपत्र अनुलग्नक पी-4 है। उन्होंने तंबाकू का लाइसेंस भी प्राप्त कर लिया है (अनुलग्नक पी-5)। याचिकाकर्ता को दिनांक 13.2.2009 (अनुलग्नक पी-6) का सूचना दिया गया था, जिसके अधीन उसे दो दिवस के भीतर उक्त दुकान खाली करने के लिए कहा गया था, ऐसा न करने पर उसे अधिनियम, 1956 की धारा 322 और 323 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के कथित प्रयोग के अन्तर्गत अधिकारियों

द्वारा हटा दिया जाएगा और उक्त सूचना के अनुपालन में याचिकाकर्ता की दुकान का वृहद भाग ध्वस्त कर दिया गया था।

उपर्युक्त कथनों के साथ, याचिकाकर्ता ने उत्तरवादीगण को याचिकाकर्ता के ढांचे का, जैसा कि वह मूलतः मौजूद है, स्वयं के व्यय पर पुनर्निर्माण करने, ढांचे को गिराने में हुई चूक के लिए उचित क्षतिपूर्ति के संदाय तथा पुनर्निर्माण के बाद याचिकाकर्ता को उक्त स्थान पर व्यवसाय जारी रखने की स्वीकृति प्रदान करने का निर्देश देने की प्रार्थना की है।

4. याचिकाकर्तागण का मामला रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1574/2009 में संक्षिप्त में यह है कि उनके व्यवसाय के स्थान सुभाष चौक से तेलघानी नाका के बीच सुभाष मार्ग पर स्थित हैं। वे अपने-अपने आवासों के शांतिपूर्ण और व्यवस्थित कब्जे में हैं और दशकों से उक्त आवासों में व्यवसाय चलाकर अपनी आजीविका कमा रहे हैं। वर्ष 1976 में, तत्का-लीन राज्य शासन ने याचिकाकर्तागण को प्रीमियम की शेष राशि जमा करने के आदेश जारी किए ताकि औपचारिक पट्टा प्रदान किया जा सके और तदनुसार उन्होंने राशि जमा कर दी और उपरोक्त के दृष्टिगत राजस्व अधिकारियों द्वारा शांतिपूर्ण कब्जे को बाधित करने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया गया। यद्यपि, राज्य शासन ने निवासरत् व्यक्ति-यों के पक्ष में पट्टा विलेख जारी या नवीनीकृत नहीं की, तथापि आवश्यक औपचारिकताएं बहुत पहले पूर्ण कर ली गई थीं। इन याचिकाकर्तागण ने आगे कथन किया है कि उन्होंने पट्टे के नवीनीकरण के लिए एक आवेदन दिया यद्यपि संबंधित अधिकारी ने उनके द्वारा पट्टे के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया राज-स्व अधिकारी ने दिनांक 10.2.2009 के सूचना (अनुलग्नक पी-7) के माध्यम से याचि-काकर्तागण को दिनांक 12.2.2009 को अपने कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया। दिनांक 12.2.2009 को याचिकाकर्तागण ने पट्टे के नवीकरण के लिए एक आवेदन दिया, यद्यपि, याचिकाकर्तागण को बाद में ज्ञात हुआ कि पट्टे के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत उनके

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आवेदन को खारिज कर दिया गया है, यद्यपि याचिकाकर्तागण को इसकी सूचना कभी नहीं दी गई।

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 767/2009 दिनांक 9.2.2009 के आदेश के निराकरण के उपरांत, उत्तरवादी निगम ने अधिनियम, 1956 की धारा 322 और 323 के अधीन अनुलग्नक पी-8 का सूचना जारी किया। इसे याचिकाकर्तागण को कभी नहीं दिया गया और इसे उनकी चारदीवारी पर चिपका दिया गया। वे अपना जवाब देने के लिए नगर निगम कार्यालय गए, यद्यपि, जवाब (अनुलग्नक पी-9) स्वीकार नहीं किया गया और इसे कार्यालय के देखरेख करने वाले को सौंप दिया गया। इसके बाद याचिकाकर्तागण तथा सुभाष मार्ग पर स्थित निवासियों की इमारतों/दुकानों को आधे घंटे के पूर्व सूचना पर ध्वस्त कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपरोक्त कथनों के साथ, याचिकाकर्तागण ने प्रार्थना की है कि उत्तरवादीगण को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्तागण का पुनर्वास करें और उन्हें हुए नुकसान की भरपाई करें। उन्होंने आगे प्रार्थना की है कि उत्तरवादीगण को ध्वस्त संपत्ति पर तब तक कोई भी निर्माण करने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित करने के लिए प्रतिषेध रिट जारी की जाए जब तक कि याचिकाकर्तागण का पुनर्वास और विधिवत क्षतिपूर्ति नहीं मिल जाता।

5. उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 ने अपने प्रति-शपथपत्र में कथन किया है कि याचिकाकर्ता पट्टेदार नहीं हैं क्योंकि राज्य/राजस्व विभाग द्वारा याचिकाकर्तागण के पक्ष में उस भूमि के संबंध में कोई पट्टा प्रदान नहीं किया गया है जिस पर याचिकाकर्तागण की इमारतें/दुकानें स्थित हैं। चूँकि याचिकाकर्तागण के पक्ष में कोई पट्टा नहीं है, इसलिए पट्टे के नवीनीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता। उत्तरवादीगण के पास उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के अनुसार, याचिकाकर्ता उक्त भूमि पर अतिक्रमणकारी हैं। विध्वंस की पूरी कार्रवाई उत्तरवादी नगर निगम द्वारा की जा रही है, इसलिए उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 द्वारा याचिकाओं का विस्तृत कण्डिका वार उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. उत्तरवादी क्रमांक 4- नगर निगम, रायपुर ने सभी याचिकाओं के अपने सामान्य उत्तर में कथन किया कि याचिकाकर्ता और अन्य दुकानदार, सुभाष मार्ग, रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 241 क्षेत्रफल 7,000 एकड़ (2.88 हेक्टेयर) भूमि के अतिक्रमणकारी हैं। याचिका-कर्तागण के पास उक्त भूमि का कोई स्वत्व या हक नहीं है। उनके पास उक्त भूमि का कोई शासकीय पट्टा नहीं है। उक्त भूमि नजूल भूमि है और उत्तरवादी निगम के अभिलेखों में सार्वजनिक मार्ग के रूप में चिह्नित है। मास्टर प्लान (संशोधित रायपुर विकास योजना, 2021) (अनुलग्नक आर-1) के अनुसार सुभाष मार्ग की निर्धारित चौड़ाई 25 मीटर है। उत्तरवादी-निगम द्वारा स्थानीय प्रशासन की सहायता से मई, 2008 के महीने में सुभाष मार्ग के दुकानदारों/निवासियों के साथ बातचीत शुरू की गई थी। उक्त बैठक के कार्यक्रम को संयुक्त रुप से अनुलग्नक आर-2 के रुप में प्रस्तुत किया गया है बातचीत चल ही रही थी कि दुकानदारों ने अचानक बैठकों में आना बंद कर दिया, जब उनसे अपनी-अपनी भू-मि के स्वत्व/मालिकाना हक़ से जुड़े दस्तावेज़ दिखाने को कहा गया। याचिकाकर्ता पुरुषो-त्तम सरीन ने व्यक्तिगत रूप से इन बैठकों में भाग लिया। दुकानदारों ने आश्वासन दिया था कि वे स्वेच्छा से अपने अतिक्रमण/कब्ज़े हटा लेंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संहिता, 1959 की धारा 133 के अधीन अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही मई, 2008 में ही शुरू कर दी गई थी, यद्यपि, चूंकि विचाराधीन भूमि शहरी क्षेत्र में स्थित है और प्रावधान सड़क, पथ या गाँव की सार्वजनिक भूमि में अवरोधों पर लागू होता है, इस-लिए कार्यवाही रोक दी गई थी। याचिकाकर्तागण के अतिक्रमण रेलवे स्टेशन के पास हैं, जिससे यातायात और स्वच्छता संबंधी संकट उत्पन्न् हो रहे हैं, जिससे सामान्य नागरिकों को अत्यंत असुविधा हो रही है और इस वजह से अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक, रायपुर ने अपने पत्र दिनांक 5.2.2009 (अनुलग्नक आर-4) के माध्यम से रायपुर रेलवे स्टेशन के सामने अतिक्रमण हटाने और सड़क को चौड़ा करने का अनुरोध किया। राजस्व अधिकारि-

यों ने अनुलग्नक आर-5 के माध्यम से निगम को सूचित किया कि खसरा क्रमांक 241 की 2.833 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण है, जिससे सार्वजनिक मार्ग बाधित हो रहा है।

याचिकाकर्तागण ने निगम से संपर्क किया और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए अनुरोध किया और आश्वासन दिया कि वे अपने अतिक्रमण हटा लेंगे। चूंकि याचिकाकर्ता-गण और अन्य समान स्थिति वाले व्यक्तियों के पास वादग्रस्त भूमि का कोई स्वत्व या स्वत्व नहीं था, इसलिए उन्हें दिनांक 13.2.2009 को अधिनियम, 1956 की धारा 322 और 323 के अधीन सूचना(अनुलग्नक आर -6) दिया गया और दो दिवस के भीतर अप-ने अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया। याचिकाकर्ता पुरुषोत्तम सरीन के पुत्र विशाल सरीन ने अनुलग्नक आर -7 के अधीन सूचना को विधिवत स्वीकार किया। सूचना की निर्धारित अवधि की समाप्ति पर, उत्तरवादी निगम ने दुकानदारों के अतिक्रमण हटा दिए, जिन्हें विधिवत सूचना दिया गया था। यद्यपि, इस माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 17.2.2009 को अंतरिम आदेश पारित करने के बाद, ध्वस्त करने की कार्यवाही तुरंत रोक दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता पुरुषोत्तम सरीन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि संबंधित संपत्ति पूजा सरीन के नाम पर दिखाई गई है और संरचना के साथ-साथ भूमि पर याचिकाकर्ता पुरुषोत्तम सरीन का स्वत्व दिखाने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है। पुरुषो-त्तम सरीन ने उत्तरवादी निगम को कभी भी सूचित नहीं किया कि उन्होंने राज्य शासन को अपने पक्ष में नए पट्टा विलेख के हस्तांतरण के लिए आवेदन किया है और इस तरह उनके पास कोई स्वत्व या वैध दावा नहीं है। एम.पी. क्रमांक 1231/92 में उच्च न्याया-लय द्वारा पारित आदेश तत्कालीन मास्टर प्लान और परिस्थितियों के संबंध में थे, यद्य-पि, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद, वर्ष 2001 में नई मास्टर प्लान लागू की गई और वर्ष 2008 में इसे अधिसूचित किया गया और इसलिए, याचिकाकर्ता पहले के बाध्यकारी वचन से संरक्षित नहीं हैं। याचिकाकर्तागण के स्वयं के अभिवचनों से यह स्पष्ट है कि

उन्हें सूचना जारी करने से बहुत पहले नजूल भूमि पर कथित अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था इससे पहले भी सूचना जारी किए गए थे और उनके इनकार करने पर उन्हें उनके संबंधित परिसरों में चिपका दिया गया था और बाद में लिखित सूचना भी दिया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के उल्लंघन के आरोप का खंडन किया गया है।

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1574/2009 में प्रस्तुत लिखित आवेदन में, उत्त-रवादी-निगम ने आगे कथन किया है कि पट्टे के नवीनीकरण के लिए याचिकाकर्तागण के आवेदन पर, दो अलग-अलग राजस्व प्रकरण दर्ज किए गए थे, आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं और अंततः दिनाँक 13.2.2009 को नजूल अधिकारी द्वारा पट्टे के नवीनीकरण के लिए उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था। आदेश पत्र अनुलग्नक आर-1 के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। चूंकि याचिकाकर्तागण ने उपरोक्त आदेश को चुनौती नहीं दी है जिसके द्वारा नवीनीकरण के लिए उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था, इसलिए वह आदेश अंतिम हो गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. उत्तरवादी क्रमांक 5 ने अपने अलग प्रति-शपथपत्र में कथन किया है कि याचिकाकर्ता-गण या किसी अन्य के प्रति उनकी कोई व्यक्तिगत द्वेष भावना नहीं है और उन्होंने आम जनता की असुविधा और समस्या को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत कार्य किया है। आतंक या भय उत्पन्न करने के आरोप का खंडन किया गया है। उच्च न्यायालय के आदेशों के प्रति अनादर व्यक्त करने के आरोप का भी स्पष्ट रूप से खंडन किया गया है।

8. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.पी. शर्मा का पूरजोर तर्क है कि उत्तरवादी प्राधिकारियों ने, अधिनियम, 1956 की धारा 322 और 323 के अधीन शक्तियों का कथित प्रयोग करते हुए, सड़क चौड़ीकरण के बहाने, उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए, विधि के वैधानिक प्रावधानों का पालन किए बिना, अत्यंत मनमाने तरीके से याचि-

काकर्तागण और क्षेत्र के अन्य व्यापारियों की दुकानों को ध्वस्त कर दिया। 3 डी मशीनों/बुलडोजरों का उपयोग करके 64-65 बड़ी इमारतों और दुकानों को पूरी तरह या आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया गया है।

याचिकाकर्तागण का स्थायी कब्ज़ा है और उक्त परिसर पर उनका कब्ज़ा दशकों पहले से है, यहाँ तक कि मालिकाना अधिकार उन्मूलन अधिनियम के लागू होने से भी पहले का। विचाराधीन भूमि राजस्व अभिलेखों में आबादी/मौरुसी भूमि के रूप में दर्ज थी। राजस्व पुस्तक परिपत्रों के भाग-IV, क्रम क्रमांक 1 का संदर्भ लेते हुए, यह तर्क दिया गया कि संहिता, 1959 के अंतर्गत 'आबादी भूमि' के रूप में वर्णित भूमि को ऐसे गाँवों को नगर घोषित करने के बाद नजूल भूमि के रूप में शामिल किया जाना था और जो व्यक्ति अपने आवास बनाकर ऐसी भूमि पर वैधानिक रूप से काबिज हैं, उन्हें नजूल भूमि का भूमिस्वामी घोषित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रायपुर शहर में अधिनियम, 1956 दिनांक 26.8.1967 को लागू हुआ और इसलिए, अधिनियम, 1956 के लागू होने से पहले भूमि पर काबिज व्यक्तियों को अवैध, अतिचारी और अतिक्रमणकारी नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसके बाद बनाए गए विधि ऐसे व्यक्तियों पर भूतलक्षी रूप से लागू नहीं हो सकते। क्षेत्र के निवासियों को भूमिस्वामी अधिकार दिए गए थे, उन्हें पट्टा विलेख आदि के रूप में अपने कब्जे के लिए औपचारिक दस्तावेज देने के लिए प्रीमियम आदि जमा करने के लिए भी कहा गया था और कुछ प्रकरणों में पट्टा विलेख भी निष्पादित की गई हैं। याचिकाकर्तागण ने उक्त संपत्ति के संबंध में विभिन्न लेन-देन किए हैं और यह प्रदर्शित करने के लिए पंजीकृत विलेख प्रस्तुत किए गए हैं कि वे स्थायी कब्जे में हैं। उत्तरवादी निगम ने भी याचिकाकर्तागण को भवन निर्माण की मंजूरी दी।

विभिन्न व्यक्तियों द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका विविध याचिका क्रमांक 1231/92 प्रस्तुत की गई थी और इसे दिनांक 07.12.1994 के आदेश द्वारा इस नि-

देंश सहित निराकृत किया गया था कि *"यदि उत्तरवादी सड़क को चौड़ा करने के लिए इस भूमि को चाहते हैं, तो उन्हें विधि सम्मत आगे बढ़ना चाहिए और मनमानी नहीं करनी चाहिए*"।

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1676/09 का इस न्यायालय द्वारा दिनांक 9.2.2009 को निराकरण किए जाने के उपरांत, अधिनियम, 1956 की धारा 322 और 323 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के कथित प्रयोग में दिनांक 13.2.2009 को सूचना जारी किया गया और याचिकाकर्तागण को दो दिवस के भीतर अपने अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया, विफल रहने पर निगम द्वारा स्वयं के व्यय पर इसे हटवाया जाएगा। सूचना जानबूझकर शुक्रवार शाम को जारी किया गया था, जिसमें दिनांक 15.2.2009 अर्थात् रविवार तक अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था, ताकि याचिकाकर्तागण को न्यायालय का आश्रय लेने से रोका जा सके और रविवार को 3 डी मशीनों और बुलडोजरों के उपयोग से संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया,उत्तरवादी क्रमांक 5 व्यक्तिगत रूप से विध्वंस दस्ते के साथ आया था और अधिभोगियों से आधे घंटे के भीतर परिसर खाली करने के लिए कहा था। कारण बताओ सूचना के मात्र परिशीलन मात्र से ज्ञात होता है कि यह सूचना नहीं बल्कि कब्जा हटाने का आदेश है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिनियम, 1956 के विभिन्न प्रावधानों का विस्तृत उल्लेख करते हुए पूरजोर ढंग से तर्क किया गया कि अधिनियम, 1956 की धारा 322, दिनाँक 30.5.1994 से पहले लागू नहीं थी तथा पूर्ववर्ती प्रावधानों में किसी स्थायी संरचना का उल्लेख नहीं है। चूंकि संरचनाएं दिनांक 30.5.1994 को अस्तित्व में थीं, इसलिए याचिकाकर्तागण पर अधिनियम, 1956 की धारा 322 के अधीन कार्रवाई नहीं की जा सकती। अन्यथा भी, यदि यह माना जाता है कि नई रायपुर विकास योजना, 2021 और धारा 322 में भूतलक्षी संचालन है, तो भी याचिकाकर्तागण और अन्य समान स्थिति वाले व्यक्तियों को अतिचारी या अतिक्रमणकारी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उन्हें अधिनियम, 1956 के अध्याय-□□□

के प्रावधानों के अनुसार संरचना के निर्माण के लिए उचित मंजूरी दी गई थी। चूंकि याचिकाकर्तागण को निर्माण की स्वीकृति दी गई थी और समय-समय पर उनसे संपत्ति कर वसूला गया था, इसलिए वे प्रॉमिसरी निबंधन और वैध अपेक्षाओं के सिद्धांतों पर अपने कब्जे की रक्षा करने के हकदार हैं।

अधिनियम, 1956 की धारा 322 की उपधारा (3) आयुक्त को उपधारा (1) के खंड (क) और (ख) के अनुसार किसी भी बाधा या अतिक्रमण को हटाने के लिए अधिकार देती है, इसके लिए निर्धारित सूचना देने के बाद, यद्यपि, उत्तरवादी नगर निगम द्वारा इस संबंध में कोई नियम/उपविधि नहीं बनाए गए हैं और इसलिए, उत्तरवादीगण को किसी वैधानिक नियम के अभाव में संरचना को हटाने से रोक दिया गया था।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ लेते हुए यह तर्क किया गया कि यह सुस्थापित विधि है कि जहां अर्ध-न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया सहित कोई भी न्यायिक प्रक्रिया, सिविल परिणामों को जन्म देती है, 'दूसरे पक्ष को भी सुने जाने' के सिद्धांत में निहित प्राकृतिक न्याय का नियम लागू होता है। यद्यपि, वर्तमान प्रकरण में याचिकाकर्तागण की दुकानें, जो उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत थीं, सुनवाई का अवसर दिए बिना ध्वस्त कर दी गईं। विधि की आवश्यकता केवल सूचना की औपचारिकता पूरी करना ही नहीं है, बल्कि यह भी है कि इस प्रयोजनार्थ दिया गया समय पीड़ित व्यक्तियों को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। इस प्रकार के सूचना के अभाव में, यह कार्यवाही पूर्णतया दूषित हो जाता है। उत्तरवादीगण की कार्रवाई में मनमानी स्पष्ट है, क्योंकि उन्होंने मनमानी की है और याचिकाकर्तागण के मूल एवं संवैधानिक अधिकारों का घोर उल्लंघन किया है। अतः रिट याचिकाओं की पोषणीयता के संबंध में उत्तरवादीगण द्वारा प्रस्तुत तकनीकी आपत्ति का कोई महत्व नहीं है और याचिकाकर्तागण को व्यवहार न्यायालय में उनके पास उपलब्ध उपचारों का प्रयोग करने से नहीं रोका जा सकता ।

उत्तरवादीगण के इस तर्क को खारिज करते हुए कि अधिनियम, 1956 की धारा 322 व 323 के अधीन आक्षेपित सूचना को न तो चुनौती दी गई है और न ही प्रस्तुत

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

किया गया है, यह तर्क दिया गया कि याचिकाएं जल्दबाजी में प्रस्तुत की गई थीं क्योंकि धवस्त करने की कार्यवाही चल रही थी और इसलिए, याचिकाओं को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि उत्तरवादीगण द्वारा जारी सूचना अन्य रिट याचिकाओं में प्रस्तुत किया गया है।

केनरा बैंक व अन्य विरुद्ध देबाशीष दास व अन्य[1]**; नगर निगम, लुधियाना विरुद्ध इंद्रजीत सिंह**[2]**; अहमदाबाद नगर निगम विरुद्ध नवाब खान गुलाब खान व अन्य**[3]**; मेसर्स ग्रेवाल और अन्य विरुद्ध दीप चंद सूद व अन्य**[4] तथा **श्रीमती कुमारी बाई और अन्य विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य**[5] के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अवलंब लिया गया है।

9. दूसरी ओर, उत्तरवादी-राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री आलोक बख्शी और उत्तरवादी-निगम के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय के. अग्रवाल तथा श्री के. शकील ने अपनी मौखिक तर्कों और लिखित अभिवचनों में कथन किया कि नगर पालिकाएँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 डब्लू के अधीन संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करती हैं, जो राज्य विधायिका को निगम को स्वायत्तशासी संस्था के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए ऐसी शक्तियाँ प्रदान करने का अधिकार देता है। संविधान की 12 वीं अनुसूची के अधीन नगर नियोजन, भूमि उपयोग विनियमन और सड़कों व पुलों सहित भवन निर्माण सहित शहरी नियोजन की संवैधानिक जिम्मेदारी नगर पालिकाओं की है।

छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 का संदर्भ लेते हुए यह तर्क दिया गया कि रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021, (संक्षिप्त में 'योजना, 2021') राज्य शासन द्वारा अधिनियम, 1973 की धारा 19 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन अनुमोदित की गई थी और इसे अधिनियम, 1973 की

1 (2003) 4 SCC 557
2 2008 AIR SCW 7127
3 AIR 1997 SC 152
4 (2001) 8 SCC 151
5 AIR 2006 CG 52

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

धारा 19 (4) के अधीन दिनांक 7.4.2008 को प्रकाशित किया गया था। उक्त योजना में गुढ़ियारी रेल बाईपास से रेलवे स्टेशन, रायपुर तक सुभाष मार्ग की चौड़ाई 25 मीटर निर्धारित की गई है। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन को "ए -1 श्रेणी" के रूप में वर्गीकृत किया गया है और रायपुर डिवीजन के 'मॉडल स्टेशन' के रूप में घोषित किया गया है। रेलवे अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर सामान्य नागरिकों को पर्याप्त यात्री सुविधाएं जैसे सर्कुलेटिंग एरिया, रात में पर्याप्त रोशनी, स्टेशन का सौंदर्यीकरण और विभिन्न दिशाओं से रेलवे स्टेशन तक आसान पहुंच जैसी सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य है ।

सुभाष मार्ग, जहाँ वादग्रस्त संरचनाएँ मौजूद हैं, खसरा क्रमांक 241 पर स्थित है, जिसे सड़क के लिए भूमि के रूप में दर्ज किया गया है। कलेक्टर, रायपुर/निगम के कहने पर, खसरा क्रमांक 241 पर अनधिकृत दुकानें रखने वाले दुकानदारों/व्यापारियों की बैठक सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए 13.5.2008 को बुलाई गई थी। याचिकाकर्ता-पुरुषोत्तम सरीन ने उक्त बैठक में सुभाष मार्ग के व्यापारियों की ओर से अपनी व्यक्तिगत क्षमता के साथ-साथ प्रतिनिधि क्षमता में भी भाग लिया। विचार-विमर्श के बाद, व्यापारियों के अनुरोध पर बैठक को दो दिनों के लिए दिनाँक 15.5.2008 तक स्थगित कर दिया गया। दिनाँक 15.5.2008 को याचिकाकर्तागण सहित सभी व्यापारियों को राजस्व अधिकारियों को स्वत्व के दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया गया और बैठक दिनाँक 22.5.2008 तक स्थगित कर दी गई, यद्यपि, स्थगित बैठक में याचिकाकर्ता पुरुषोत्तम सरीन सहित अन्य व्यापारियों ने भाग नहीं लिया उन्होनें अपने स्वत्व से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया संबंधित तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि पटवारी अभिलेख के अनुसार दुकानें खसरा नंबर 241 पर स्थित हैं। उपरोक्त बैठक में रेलवे गेट क्रमांक 2 और 3 के प्रभावित व्यापारियों/दुकानदारों को 'मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना' के अधीन दुकानें देकर पुनर्वासित करने का भी संकल्प लिया गया था। सक्षम राजस्व अधिकारी ने खसरा नंबर 241 का सर्वेक्षण किया और 64 व्यापारियों/दुकानदारों द्वारा सड़क के लिए निर्धारित खसरा नंबर 241 की भूमि पर अतिक्रमण के बारे में उल्लेख कर-

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

ते हुए दिनाँक 23.5.2008 को अपनी रिपोर्ट आयुक्त, नगर निगम, रायपुर को सौंप दी। अतिरिक्त तहसीलदार की रिपोर्ट के परिशीलन से यह स्पष्ट होगा कि याचिकाकर्ता-पुरुषोत्तम सरीन ने 66 वर्ग मीटर से अधिक पर अतिक्रमण किया है, याचिकाकर्ता-कुमारी उर्वशी अग्रवाल ने 18 वर्ग मीटर से अधिक पर अतिक्रमण किया है, जबकि याचिकाकर्ता जीव राखन पंसारी ने 36 वर्ग मीटर से अधिक नजूल भूमि पर अतिक्रमण किया है।

अधिनियम, 1956 की धारा 66 (1) (एफ) में यह अनिवार्य किया गया है कि निगम सार्वजनिक सड़कों और स्थानों और उन स्थानों में अवरोधों और प्रक्षेपण को हटाने के लिए पर्याप्त प्रावधान करेगा जो निजी संपत्ति नहीं हैं, जो जनता के आनंद के लिए खुले हैं चाहे ऐसे स्थान निगम या शासन में निहित हों। सार्वजनिक मार्गको अधिनियम, 1956 की धारा 5 (49) में परिभाषित किया गया है। अधिनियम, 1956 की धारा 322 (1) कि-सी भी व्यक्ति को आयुक्त की लिखित अनुमति के बिना किसी भी सार्वजनिक मार्गपर अवरोध या अतिक्रमण करने के लिए कोई दीवार, बाड़ या कोई अन्य संरचना खड़ी करने या स्थापित करने से रोकती है। धारा 322 की उप-धारा (3) आयुक्त को धारा 322 की उप-धारा (1) के खंड (ए) और (बी) में निर्धारित अनुसार व्यक्तियों को ऐसी सूचना देने के बाद ऐसी किसी बाधा या अतिक्रमण को हटाने का अधिकार देती है। अतिरिक्त तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता अतिक्रमणकारी हैं, जिन्होंने सार्वजनिक मार्गपर अति-क्रमण किया है, और इसलिए, उन्हें सड़क/गली पर अतिक्रमण हटाने के लिए अधिनियम, 1956 की धारा 322 (1) के अधीन सूचना दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता पुरुषोत्तम सरीन और कुमारी उर्वशी अग्रवाल ने अपनी रिट याचि-काओं में दावा किया है कि वे बहुत लंबे समय से नजूल भूमि पर अनुमेय कब्जे में हैं और इसलिए, नजूल भूमि पर उनके कब्जे को वैध घोषित किया जाना चाहिए और उत्तर-वादीगण को उनके शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोका जाना चाहिए। उन्होंने आधिकारिक उत्तरवादीगण से अपने परिसर के पुनर्निर्माण और नुकसान की अनुतोष के

लिए भी प्रार्थना की है। इन याचिकाकर्तागण ने न तो अधिनियम, 1956 की धारा 322 (1) के अधीन सूचना को चुनौती दी है और न ही अपने परिसर के ध्वस्त करने की कार्यवाही को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता जीव राखन पंसारी ने उत्तरवादीगण को याचिकाकर्ता के ढांचे का पुनर्निर्माण करने और उचित मुआवजा देने के निर्देश देने और याचिकाकर्ता को उक्त स्थान पर व्यवसाय करने की अनुमति देने के लिए भी प्रार्थना की है। इस याचिकाकर्ता ने अधिनियम, 1956 की धारा 322 के अधीन जारी सूचना को भी चुनौती नहीं दी है और न ही ध्वस्त करने की कार्यवाही को चुनौती दी है चुँकी याचिकाकर्तागण पुरुषोत्तम सरीन व उर्वशी अग्रवाल ने अपने अधिकार/स्वत्व के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जबकि अनुलग्नक पी-5 के दस्तावेज के अनुसार यह स्पष्ट है कि वे नजूल भूमि पर अतिक्रमणकारी हैं, ऐसे में उनके पास अपने पक्ष में किसी प्रकार का विधिक अधिकार नहीं है और चूंकि उन्होंने अपनी रिट याचिकाओं और प्रतिउत्तर में स्पष्ट रूप से दलील दी है कि नजूल भूमि पर उनका अनुमेय कब्जा है, इसलिए याचिकाकर्तागण द्वारा मांगी गई अनुतोष कि उन्हें नजूल भूमि पर वैध कब्जा घोषित किया जाए और उत्तरवादीगण को शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोका जाए, प्रदान नहीं की जा सकती। अन्यथा भी ऐसी अनुतोष विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के अधीन एक सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा उचित रूप से प्रदान की जा सकती हैं, क्योंकि इसमें साक्ष्यों को दर्ज करने की आवश्यकता वाले विवादित तथ्यों के निर्णय शामिल हैं और इस तरह के विवाद का निपटारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका प्रस्तुत कर नहीं किया जा सकता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अधिनियम, 1956 की धारा 322(1) के अंतर्गत सूचना और उसके परिणामस्वरूप की गई कार्रवाई अंतिम हो गई है, क्योंकि याचिकाकर्तागण ने सूचना की वैधता और विधिमान्यता को न तो चुनौती दी है और न ही उस पर सवाल उठाया है, इसलिए याचिकाकर्तागण को रिट याचिकाओं में की गई प्रार्थना के दायरे से बाहर अनुतोष नहीं दी जा सकती। याचिकाकर्ता पुरुषोत्तम सरीन ने अधिनियम, 1956 की धारा 322(1) के अंतर्गत

जारी सूचना भी प्रस्तुत नहीं किया है और चूँकि याचिकाकर्तागण ने अधिनियम, 1956 की धारा 322(1) के अंतर्गत सूचना की वैधता और शुद्धता पर कोई प्रश्न नहीं उठाया है, इस-लिए यह नहीं माना जा सकता कि अधिनियम, 1956 की धारा 322 के अंतर्गत सूचना जारी करने का आधिकारिक कार्य अनियमित रूप से किया गया है। (साक्ष्य अधिनियम की धारा 114(ई))।

यह सुस्थापित विधि है कि यह मान लेना अनुचित है कि शासन या निगम जन-हित के विरुद्ध कार्य करेंगे। धारा 322(1) के अधीन सूचना को चुनौती न दिए जाने की स्थिति में याचिकाकर्ता पुनर्निर्माण, नुकसानी और क्षतिपूर्ति के अनुतोष का दावा नहीं कर सकते। वैसे भी, याचिकाकर्ता अतिक्रमणकारी/विधि का उल्लंघन करने वाले होने के नाते किसी भी अनुतोष के हकदार नहीं हैं, क्योंकि यह सुस्थापित है कि विवेक का प्रयोग इस तरह से नहीं किया जा सकता कि यह अवैधता को कायम रखे। याचिकाकर्तागण का प्रश्न-गत भूमि पर कोई विधिक अधिकार नहीं है, जो उनकी अपनी अभिवचनों से स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता पुरुषोत्तम सरीन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि एक मकान श्रीमती दयामती ने पुरुषोत्तम सरीन की पत्नी श्रीमती पुष्पा सरीन को वि-क्रय किया था। चूंकि याचिकाकर्तागण ने नजूल भूमि पर अनुमेय कब्जे की दलील दी है, इसलिए अधिनियम, 1956 की प्रयोज्यता/अप्रयोज्यता याचिकाकर्तागण के लिए उपलब्ध नहीं है। याचिकाकर्ता विविण याचिका क्रमांक 1231/1992 के पक्षकार नहीं थे, वे रिट या-चिका (सिविल) क्रमांक 768/09 में भी पक्षकार नहीं थे और इसलिए, उपरोक्त याचिकाओं में पारित आदेशों के आधार पर याचिकाकर्तागण के तर्क स्वीकार नहीं किए जा सकते। चूंकि अधिनियम, 1956 की धारा 322 के अधीन सूचना की वैधता एवं विधिमान्यता को प्रश्नगत नहीं किया गया है और न ही उपरोक्त सूचना को रद्द करने के लिए कोई अनुतोष मांगी गई है, धारा 322 की अनुपयुक्तता के बारे में आधार याचिकाकर्तागण के लिए उप-लब्ध नहीं है। बैठकों के कार्यवृत्त (अनुलग्नक आर -2) से यह स्पष्ट होगा कि आपसी समझौते के लिए याचिकाकर्तागण और व्यापारियों के प्रतिनिधियों के साथ लंबे विचार-

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

विमर्श और चर्चाएं हुई थीं, यद्यपि, जब उन्होंने अपने स्वत्व के संबंध में अपेक्षित दस्ता-वेज पेश नहीं किए और दिनांक 22.5.2008 को आयोजित बैठकों में स्वयंअनुपस्थित रहें, तो अतिक्रमणों को हटाने के लिए व्यापक लोक हित में उचित कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। रेलवे गेट क्रमांक 2 व 3 के दुकानदारों/व्यापारियों को मानवीय आधार पर दुकानें उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया, जो दिनांक 24.5.2008 की बैठक के कार्यवृत्त से स्पष्ट है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत दिनांक 23.5.2008 की सीमांकन रि-पोर्ट द्वारा याचिकाकर्तागण का अतिक्रमण स्थापित किया गया था, यद्यपि, याचिकाकर्तागण ने इस प्रकरण पर अधिकारिता रखने वाले किसी भी सक्षम न्यायालय के समक्ष उपरोक्त सीमांकन रिपोर्ट को चुनौती देने की परवाह नहीं की और इसलिए, याचिकाकर्तागण को इन याचिकाओं में सीमांकन रिपोर्ट की प्रामाणिकता को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। याचिकाकर्तागण द्वारा जिन निर्णयों का अवलंब लिया गया है, वे तथ्यों के आधार पर भिन्न हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रताप सिंह उर्फ बाबू राम व अन्य विरुद्ध उप संचालक, चकबंदी, मैनपुरी व अन्य[6]; ठाकुर किशन सिंह (मृत) विरुद्ध अरविंद कुमार[7]; नगर एवं औद्योगिक विकास निगम विरुद्ध दोसू आर्देशिर भिवंडीवाला व अन्य[8]; राजस्थान राज्य विरुद्ध भवानी सिंह व अन्य[9]; चंडीगढ़ प्रशासन विरुद्ध लक्ष्मण रोलर फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड[10]; सुरेन्द्र सिंह विरुद्ध केंद्र शासन व अन्य[11]; ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स विरुद्ध सुंदर लाल जैन व अन्य[12]; अब्दुल्ला यूसुफ विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य[13]; इंदौर नगर निगम व अन्य विरुद्ध कुंदनलाल[14]; मदन मोहन कौशिक विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य व अन्य[15] के प्रकरणों में पारित निर्णयों का अवलंब लिया गया है।

---

6 (2000) 4 SCC 614
7 (1994) 6 SCC 591
8 JT 2008 (12) SC 127
9 1993 Supp (1) SCC 306
10 (1998) 8 SCC 326
11 (1986) 4 SCC 667
12 (2008) 2 SCC 280
13 2007 (2) CGLJ 117
14 (2005) 2 MPLJ 390
15 (2007) 4 MPLJ 298

10. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है।

11. संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार करने से पूर्व, यह न्यायालय संबंधित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत विधिक अभिवचनों पर विचार करने का प्रस्ताव करता है।

<u>याचिकाकर्तागण की ओर से प्रस्तुत तर्क</u>

12. **एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स प्राइवेट लिमिटेड व अन्य विरुद्ध भारत संघ**[16] के प्रकरण में, याचिकाकर्तागण के इस तर्क पर विचार करते हुए कि क्या उत्तरवादीगण की कार्यकारी कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण और राजनीति से प्रेरित थी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि "जिस प्रयोजनार्थ शक्ति प्रदान की गई है, उसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजनार्थ शक्ति का उपयोग करना शक्ति का दुर्भावनापूर्ण उपयोग है। यही स्थिति तब भी है जब कोई आदेश उस प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजनार्थ दिया जाता है जो आदेश में शामिल है।" अपने पूर्व निर्णयों का उल्लेख करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कण्डिका-20 में आगे अभिनिर्धारित किया है कि "न्यायालय हमेशा वैधानिक शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए कार्य करते रहे हैं, और जब अनुचित प्रयोजन निहित हों तो और भी तत्परता से कार्य करते रहे हैं। इसी प्रकार, संपार्श्विक प्रयोजनार्थ शक्ति का प्रयोग किसी कार्रवाई को रद्द करने के लिए पर्याप्त कारण माना गया है। पंजाब राज्य विरुद्ध रामजीलाल प्रकरण में यह माना गया था कि यह आवश्यक नहीं है कि किसी शासन द्वारा की गई कार्रवाई की वैधता को दुर्भावना के कारण चुनौती दिए जाने पर किसी नामित अधिकारी को उस कार्य के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाए, क्योंकि किसी निजी व्यक्ति को यह ज्ञात नहीं हो सकता कि किन प्रकरणों पर विचार किया गया और अंतिम प्राधिकारी के समक्ष क्या रखा गया और आदेश पारित करने में शासन की ओर से किसने कार्य किया। इसका अर्थ यह नहीं है कि दुर्भावना के अस्पष्ट आरोप उस व्यक्ति पर से दा-

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16 (1986) 1 SCC 133

यित्व हटाने के लिए पर्याप्त हैं जिसने ऐसा किया है, यद्यपि इस संबंध में जो आवश्यक है वह पूरी तरह से प्रमाण नहीं है, फिर भी अधिकार का दुरुपयोग यथोचित रूप से संभावित प्रतीत होना चाहिए।" याचिका में लगाए गए आरोपों पर विचार करते हुए, जिनका उत्तर-वादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबी शपथपत्र में विशेष रूप से खंडन नहीं किया गया था और साथ ही प्रकरण के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, यह अभिनिर्धा-रित किया गया कि *याचिकाकर्तागण को जारी किए गए आक्षेपित सूचना विधि के कार्या-न्वयन या न्याय सुनिश्चित करने के लिए आधिकारिक कामकाज के सामान्य क्रम में सद्भावपूर्वक जारी नहीं किए गए थे, बल्कि एक गुप्त और बाहरी प्रयोजन से प्रेरित थे और इस प्रकार पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण और राजनीति से प्रेरित थे।*

13. केनरा बैंक[1] के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर विस्तार से विचार किया है, जिसका पालन न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करने वाला आदेश देते समय कि-या जाना चाहिए एवं निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "हाल के वर्षों में प्राकृतिक न्याय की अवधारणा में काफ़ी बदलाव आया है। प्रा-कृतिक न्याय के नियम हमेशा किसी क़ानून या उसके अंतर्गत बनाए गए नि-यमों में स्पष्ट रूप से निहित नहीं होते। ये किसी क़ानून के अधीन किए जाने वाले कर्तव्य की प्रकृति से निहित हो सकते हैं। किसी प्रकरण में प्राकृतिक न्याय का कौन सा विशेष नियम निहित होना चाहिए और उसका संदर्भ क्या होना चाहिए, यह काफी हद तक उस प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों, और उस क़ानून के ढाँचे पर निर्भर करता है जिसके अधीन जाँच की जा रही है। न्यायिक कार्य और प्रशासनिक कार्य के बीच का पुराना अंतर अब मिट गया है। यहाँ तक कि एक प्रशासनिक आदेश, जिसमें सिविल परिणाम शामिल हों, प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुरूप होना चाहिए। "सिविल परिणाम" शब्द

में केवल संपत्ति या व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघनही नहीं, बल्कि नागरिक स्वतंत्रता, भौतिक वंचना और गैर-आर्थिक क्षतियाँ भी शामिल हैं। इसके व्यापक दायरे में वह सब कुछ आता है जो एक नागरिक को उसके नागरिक जीवन में प्रभावित करता है।"

कण्डिका-15 में आगे कहा गया है कि "सूचना इस सिद्धांत का पहला अंग है। यह सटीक और स्पष्ट होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए दिया गया समय पर्याप्त होना चाहिए ताकि वह अपना प्रतिनिधित्व कर सके। इस तरह के सूचना और युक्तियुक्त अवसर के अभाव में, पारित आदेश पूरी तरह से दूषित हो जाता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. नगर निगम लुधियाना के प्रकरण में उत्तरवादी/संपत्ति की स्वामिनी को निगम द्वारा उसके कथित अवैध निर्माण के खिलाफ सूचना दिया गया था जिसमें ध्वस्त करने की धमकी दी गई थी। इसके बाद, उत्तरवादी के मौखिक अनुरोध पर, अवैध निर्माण को माफ करने के लिए एक शमन शुल्क तय किया गया था, यद्यपि, उत्तरवादी शमन शुल्क का संदाय करने में विफल रहा। विध्वंस को रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए उत्तर-वादी द्वारा एक वाद प्रस्तुत किया गया था और एक अंतरिम आदेश द्वारा विद्वान व्यवहार न्यायाधीश ने उत्तरवादी को स्वीकृत निर्माण को ध्वस्त करने से रोक दिया था। यद्यपि, निगम के सहायक टाउन प्लानर द्वारा पंजाब नगर निगम अधिनियम की धारा 269, 270 के अधीन एक और कारण बताओ सूचना जारी किया गया था जिसमें अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया था और अंततः ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया था। उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया गया था तथापि इसी बीच अनाधिकृत निर्माण ध्वस्त कर दिया गया इन परिस्थितियों में, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने आदेश दिया कि पक्षों को उस स्थिति में बहाल किया जाए, जैसे कि कोई भी ध्वस्त नहीं हुआ हो। निगम द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा खारिज कर दी गई। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निगम की सिविल अपील को

खारिज करते हुए अपीलार्थी को ऐसे निर्माण को बहाल करने का निर्देश दिया, जिसके लिए स्वीकृति आदेश प्राप्त हो चुका था और 2,00,000/- रुपये का जुर्माना लगाया था।

15. अहमदाबाद नगर निगम के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न थे (1) क्या उत्तरवादी सड़कों के फुटपाथों के अतिक्रमण से बेदखल किए जाने के उत्तरदायी हैं और क्या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत अर्थात दूसरे पक्ष को भी सुने का पालन किया जाना आवश्यक है और यदि हां, तो इसका दायरा और घटक क्या है? (2) क्या अपीलार्थी झोपड़ी में निवासियों को स्थायी निवास प्रदान करने के लिए बाध्य है और यदि हां, तो उस संबंध में मानदंड क्या होंगे? सोदान सिंह विरुद्ध नई दिल्ली नगर निगम (1989) 2 एससीआर 1038 और ओल्गा तेलिस विरुद्ध ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम (एआईआर 1986 एससी 180) के प्रकरण में संविधान पीठ के फैसले का संदर्भ देते हुए अनुमोदन के साथ यह माना गया है;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> संविधान जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उल्लंघन पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाता, लेकिन ऐसा उल्लंघन प्रक्रिया के अनुसार, दी गई परिस्थितियों में, निष्पक्ष और उचित होना चाहिए। निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होने के लिए, केवल विधि में निर्धारित प्रक्रिया का औपचारिक होना पर्याप्त नहीं होगा। यह दी गई तथ्य-स्थिति के अनुरूप व्यावहारिक और यथार्थवादी होना चाहिए। हर या सभी प्रकरणों में सुनवाई और उचित विवेक के किसी भी कठोर नियम पर ज़ोर नहीं दिया जा सकता। प्रत्येक मामला अपनी पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। अतिक्रमण हटाने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। लेकिन इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण पर निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। अतिक्रमण दिखाई देने पर जितनी जल्दी हटाया जाएगा, फुटपाथों या फुटपाथों पर पैदल चलने वालों के आने-जाने की सुविधा उतनी ही बेहतर होगी, जिससे

सड़क पर या सार्वजनिक स्थानों के उपयोग पर नियंत्रित यातायात का निर्बाध प्रवाह सुगम होगा। इसके विपरीत, जितनी अधिक देरी होगी, अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने में बाधा डालने का अधिकार होने का दावा करने की अनुमति देने का खतरा उतना ही अधिक होगा। यदि अतिक्रमण हाल ही में हुआ है, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता को इस आधार पर टाला जा सकता है कि किसी को भी सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण करने और सुनवाई के अवसर की प्रक्रिया का दावा करने का अधिकार नहीं है, जो एक थकाऊ और समय लेने वाली प्रक्रिया होगी और जिससे अतिक्रमण और अवैध कब्ज़े के मनमाने और अनधिकृत कृत्यों को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी ओर, यदि निगम अतिक्रमणकारियों को उनके ज्ञात कारणों से लंबे समय तक बसने की अनुमति देता है, और कारण बहुत दूर नहीं हैं, तो हटाने के लिए उचित सूचना, मान लीजिए दो सप्ताह या दस दिन, और अतिक्रमणकारियों को व्यक्तिगत सेवा या संपत्ति पर सूचना लगाकर सेवा प्रदान करना आवश्यक है। यदि निर्दिष्ट समय के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी इसे हटाने के लिए स्वतंत्र होगा। यह प्रक्रिया की निष्पक्षता और अतिक्रमणकारियों को स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने का अवसर देने के सिद्धांत को पूरा करेगा। उनके प्रतिरोध पर, आवश्यक रूप से उचित और युक्तियुक्त बल का प्रयोग करके अतिक्रमण हटाया जा सकता है। इस प्रकार विचार करने के बाद, हम मानते हैं कि अपीलार्थी निगम द्वारा की गई कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. एम.एस. ग्रेवाल व अन्य[4] के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका की पोषणीयता के संबंध में आपत्तियों को नकारते हुए निम्नानुसार अवधारित किया;

"न्यायालय समाज के लिए हैं और नागरिकों की सामाजिक आकांक्षाओं को पूर्ण करना उनका दायित्व है, क्योंकि न्यायालयों को लोगों की आवश्यकताओं का भी विचार में रखना चाहिए। वर्तमान में न्यायिक दृष्टिकोण पुरानी कठोर अवधारणा और पारंपरिक न्यायशास्त्रीय प्रणाली से हटकर, लोगों के दिखावे को गंभीरता से लिया गया है और इस प्रकार न्यायिक चिंता इस आधार पर है कि आवश्यकता पड़ने पर किसी व्यक्ति को शीघ्र अनुतोष प्रदान की जाए, न कि क्षतिपूर्ति देने के लिए व्यवहार न्यायालय के दायित्व के पुराने रूढ़िवादी सिद्धांत का सहारा लिया जाए। डी.के. बसु प्रकरण में दिए गए निर्णय ने न केवल इस मुद्दे को देश की सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप तरीके से निपटाया है, बल्कि न्यायालय ने "न्याय-उन्मुख दृष्टिकोण" की वर्तमान प्रवृत्ति को भी दृढ़ता से स्थापित किया है। यदि न्यायालय समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वे अपनी प्रभावशीलता खो देंगे। तकनीकी पहलू कई हो सकते हैं, लेकिन न्याय-उन्मुख दृष्टिकोण को ऐसी तकनीकी पहलुओं के आधार पर विफल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि तकनीकी पहलू न्याय के मार्ग पर भारी नहीं पड़ सकते और न ही पड़ना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. श्रीमती कुमारी बाई[5] के प्रकरण में रिट याचिकाकर्तागण ने अधिनियम, 1956 की धारा 401 की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया, जो उस धारा की उप-धारा (1) के अधीन आवश्यक वैधानिक सूचना की तामील के बिना तत्काल और अत्यावश्यक अनुतोष प्राप्त करने के लिए सिविल वाद प्रस्तुत करके सिविल न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के पीड़ित व्यक्ति के अधिकार को छीन लेती है। अधिनियम, 1956 की धारा 401 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए यह माना गया है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन प्रत्येक उच्च न्यायालय के पास उस पूरे क्षेत्र में, जिसके संबंध में वह अधिकारिता का प्रयोग करता है, किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी को, उपयुक्त प्रकरणों में किसी भी शासन को, उन क्षेत्रों के भीतर भारत के संविधान के भाग □□□ द्वारा प्रदत्त किसी भी

अधिकार के प्रवर्तन के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्तियां हैं, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण की प्रकृति के रिट शामिल हैं। जहां राज्य या अन्य वैधानिक सार्वजनिक निकायों की प्रशासनिक कार्रवाई मूल अधिकार या किसी अन्य अधिकार या किसी क़ानून का उल्लंघन करती है, वहां न्यायिक पुर्नविलोकन की जा सकती है। आगे यह भी माना गया है कि ऐसे प्रकरण में जहां निगम या उसके प्राधिकारियों या अधिकारियों की कार्रवाई से वादी के मूल अधिकारों का उल्लंघनहोता है, वहां वादी अपने मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में मूल अधिकारों या किसी अन्य संवैधानिक अधिकार या भारत के संविधान के भाग-III में गारंटीकृत मूल अधिकारों के उल्लंघन के किसी अन्य अधिकार के उल्लंघन की शिकायत करने वाला आवेदन इस आधार पर वर्जित नहीं है कि उसके पास अधिनियम की धारा 401 के अधीन वाद के माध्यम से वैकल्पिक उपाय मौजूद है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>उत्तरवादीगण की ओर से प्रस्तुत तर्क</u>

18. उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय के. अग्रवाल ने याचिकाकर्तागण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अनुज्ञेय कब्जे की स्वीकारोक्ति के मद्देनजर, प्रताप सिंह[6] प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संदर्भ देते हुए तर्क दिया है कि अनुज्ञेय कब्जे का अर्थ है, स्वामी की अनुमति से संबंधित संपत्ति पर कब्जा। यदि ऐसे व्यक्ति से कब्जा देने के लिए कहा जाता है और वह ऐसा करने से इनकार करता है, तो यह उस तिथि पर स्वामी के विरुद्ध कार्रवाई का कारण बनता है जिस तिथि को वह कब्जा देने से इनकार करता है।

19. ठाकुर सिंह विरुद्ध अरविंद कुमार[7] के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 65 के अंतर्गत प्रतिकूल कब्जे पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की है कि चूँकि कब्जा प्रारंभ में अनुज्ञेय था, इसलिए अपीलार्थी पर यह सिद्ध करने का पूर्ण दायित्व था कि यह प्रतिकूल हो गया। किसी सह-स्वामी, अनुज्ञप्ति धारक, एजेंट या अनुज्ञेय कब्जे के प्रतिकूल होने के लिए, शत्रुतापूर्ण द्वेष और वास्तविक स्वामी की जानकारी के प्रतिकूल कब्जे को दर्शाने वाले ठोस और पुख्ता साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए। चाहे कितनी भी अवधि तक कब्जा रहा हो, केवल अनुज्ञेय कब्जे को प्रति-कूल कब्जे में परिवर्तित नहीं कर देता।

20. नगर एवं औद्योगिक विकास निगम[8] के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग के दायरे पर विचार किया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि 'अनुच्छेद 226 के अंत-र्गत अपने अधिकारिता का प्रयोग करते समय न्यायालय यह विचार करने के लिए बाध्य है कि क्या:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

क. रिट याचिका के निर्णय में तथ्यों के किसी भी जटिल और विवादित प्रश्न शामिल हैं और क्या उन्हें संतोषजनक ढंग से हल किया जा सकता है।

ख. याचिका में सभी महत्वपूर्ण तथ्य उजागर होते हैं;

ग. याचिकाकर्ता के पास विवाद के समाधान के लिए कोई वैकल्पिक या प्रभावशाली उपाय है;

घ. विलोपित,

ङ. विलोपित,

च. विलोपित।'

21. राजस्थान राज्य विरुद्ध भवानी सिंह व अन्य के प्रकरण में याचिकाकर्ता ने कई अनु-तोषों की माँग की, जिनमें उसे उक्त भूखंड का पूर्ण स्वामी मानने की अनुतोष; यह घोषित

करने की अनुतोष कि उक्त भूखंड आबादी भूमि का एक भाग है; यह घोषित करने की अनुतोष कि उसे उस पर भवन निर्माण का अधिकार है, और उत्तरवादीगण को निर्माण हेतु अपेक्षित अनुमति प्रदान करने का निर्देश देने की अनुतोष शामिल है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रिट याचिकाकर्ता का स्वत्व अत्यधिक विवादित है, यह माना गया है कि स्वत्व से संबंधित विवादित प्रश्न पर रिट याचिका में संतोषजनक ढंग से विचार या निर्णय नहीं किया जा सकता है।

22. चंडीगढ़ प्रशासन[10] के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "यह सुस्थापित विधि है कि जब तक रिट याचिका में आरोप नहीं लगाए जाते हैं और उस संबंध में रिट याचिका में अनुतोष की भी प्रार्थना नहीं की जाती है, तब तक उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका में मांगी गई अनुतोष से अधिक कोई आदेश जारी करना न्यायोचित नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. सुरेन्द्र सिंह[11] के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय के कण्डिका-9 में यह अभिनिर्धारित किया है कि "आक्षेपित आदेश की प्रति संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका में प्रस्तुत और चुनौती दी जानी चाहिए। यदि आदेश प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उक्त आदेश को रद्द करना अनुचित होगा।"

24. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स [12] के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न पूर्व निर्णयों का अनुमोदन करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि "परमादेश रिट जारी करने के लिए, रिट जारी करने की मांग करने वाले पक्षकार के पास प्राधिकारियों पर अधिरोपित किसी वैधानिक कर्तव्य के पालन हेतु बाध्य करने का विधिक अधिकार होना चाहिए"।

25. अब्दुल्ला यूसुफ[13] के प्रकरण में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि "भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 न्यायालय को केवल

किसी व्यक्ति के विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार की रक्षा करने का अधिकार देता है"। इंदौर नगर निगम[14] के प्रकरण में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय को इस आधार पर किसी अतिक्रमणकारी को सार्वजनिक स्थान पर अपना व्यवसाय जारी रखने की अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं है कि यदि उसे हटा दिया जाता है, तो इस आशय की किसी वैधानिक शक्ति के अभाव में उसके पास आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं है।

26. मदन मोहन कौशिक[15] के प्रकरण में मप्र उच्च न्यायालय की माननीय खंडपीठ ने अधिनियम, 1956 की धारा 322, 322ए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (छ) के दायरे पर विचार करते हुए अभिनिर्धारित किया है कि आयुक्त, नगर निगम पर सड़कों पर अतिक्रमण हटाने का अनिवार्य कर्तव्य डाला गया है और तदनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा निगम को निर्देश जारी किए गए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सड़कों पर कोई अतिक्रमण न हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. उपरोक्त निर्णयों के आधार पर विधि के जो सिद्धांत निकाले जा सकते हैं, वे यह हैं कि शक्ति का प्रयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए करना जिसके लिए शक्ति प्रदान की गई है या जब कोई आदेश उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए दिया जाता है जो आदेश में उल्लिखित है, तो शक्तियों का दुर्भावनापूर्ण प्रयोग माना जाएगा। जहाँ वैधानिक शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है और विशेष रूप से जब इसका प्रयोग अनुचित उद्देश्यों के साथ किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो उस कार्रवाई को रद्द करने का पर्याप्त कारण है। याचिकाकर्ता के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि कोई विशेष अधिकारी दुर्भावनापूर्ण कार्य करने के लिए उत्तरदायी है।

सिविल परिणामों से संबंधित कोई भी न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या प्रशासनिक आदेश प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुरूप होना चाहिए। सिविल परिणामों वाले आदेश प्रभा-

वित व्यक्ति को उचित सूचना देने के बाद जारी किए जाने चाहिए और इस उद्देश्य के लिए दिया जाने वाला समय इतना पर्याप्त होना चाहिए कि वह अपना पक्ष रख सके। यद्यपि, हर या सभी प्रकरणों में सुनवाई और उचित विवेक के प्रयोग के किसी भी कठोर नियम पर ज़ोर नहीं दिया जा सकता, प्रत्येक मामला अपनी पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है।

उचित प्रकरणों में, नागरिकों की सामाजिक आकांक्षाओं को पूरा करने और आवश्यकता पड़ने पर किसी व्यक्ति को शीघ्र अनुतोष प्रदान करने के लिए, किसी भी अन्याय को दूर करने के लिए उचित आदेश पारित किए जा सकते हैं और नुकसानी भी दिलाया जा सकता है, और इस उद्देश्य के लिए पक्षकारों को व्यवहार अदालतों में नहीं भेजा जा सकता। जहाँ किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, वहाँ पीड़ित व्यक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. यदि हम वर्तमान प्रकरण के तथ्यों की जांच संबंधित पक्षकारों द्वारा अवलंब लिए गए उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में करते हैं, तो इस न्यायालय ने इस बात पर ध्यान दिया है कि है कि याचिकाकर्तागण का मामला, संक्षिप्त में, यह है कि वे दशकों से वादग्रस्त भूमि पर अपनी दुकानों/आवासों का निर्माण करके स्थापित कब्जे में थे। स्वत्व में उनके पूर्ववर्ती आबादी भूमि पर कब्जा कर रहे थे। क्षेत्र को नगर क्षेत्र में शामिल किए जाने के बाद, आबादी भूमि को विधि के निहितार्थ के अनुसार नजूल भूमि माना गया। तत्कालीन राज्य शासन ने नजूल भूमि के पुराने निवासियों को भूमिस्वामी अधिकार देने का निर्णय किया। निवासियों को पट्टे के अधिकार के रूप में अपने कब्जे के लिए औपचारिक दस्तावेज देने के लिए प्रीमियम आदि का संदाय करने के लिए कहा गया था और कुछ प्रकरणों में पट्टा विलेख भी निष्पादित किए गए थे। याचिकाकर्तागण और वादग्रस्त भूमि के पूर्व निवासियों ने स्वयं को 'संपत्ति' का स्वामी मानते हुए विभिन्न लेनदेन किए हैं। वादग्रसत संपत्ति के संबंध में, उन्होंने भवन आदि के निर्माण के लिए

मंजूरी देने के लिए भी आवेदन किया और निगम ने अपेक्षित शुल्क स्वीकार करने के बाद उन्हें मंजूरी दे दी। उसी क्षेत्र के लोगों और निगम के बीच मुकदमेबाजी के पहले दौर में, आदेश इस आशय के पारित किए गए थे कि यदि उत्तरवादी सड़क को चौड़ा करने के लिए भूमि चाहते हैं, तो उन्हें विधि के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए और मनमानी प्रथा का उपयोग नहीं करना चाहिए। यद्यपि, रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 768/2009 का निराकरण 11.2.2009 को किया गया था, याचिकाकर्तागण को 13.2.2009 को दो दिन का सूचना दिया गया था और 15.2.2009 अर्थात् रविवार को अवैध ध्वस्त करने की कार्यवाही किया गया था, याचिकाकर्तागण को सूचना का जवाब देने या विधि के अधीन उपलब्ध विधिक उपाय का लाभ उठाने के लिए कोई समय दिए बिना। धारा 322 का वर्तमान प्रावधान दिनांक 30.5.1994 को संशोधन द्वारा विधि में आया था। चूंकि दिनांक 30.5.1994 से पहले असंशोधित विधि में कोई सदृश प्रावधान नहीं था और याचिकाकर्तागण का कब्जा निश्चित रूप से दिनांक 30.5.1994 से पहले का है, इसलिए संशोधित प्रावधानों के आधार पर याचिकाकर्तागण को अधिनियम, 1956 की धारा 322 के अधीन सूचना देना अवैध है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. याचिकाकर्तागण ने अपने उपरोक्त दावे के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि उनके पूर्ववर्ती स्वामी विवादित आबादी भूमि के काबिज थे, जिसे बाद में क्षेत्र को नगर क्षेत्र में शामिल किए जाने के बाद नजूल भूमि में परिवर्तित कर दिया गया था। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि वादग्रसत शासकीय नजूल भूमि को राज्य द्वारा काबिजों के पक्ष में उनके पुराने कब्जे के आधार पर बंदोबस्त किया गया था। इसके विपरीत,निर्विवाद रुप से वादग्रस्त भूमि खसरा क्रमांक 241 पर स्थित है, जिसका उल्लेख राजस्व अभिलेख में सड़क के लिए बनी भूमि के रूप में किया गया है। यद्यपि, यह दिखाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं कि याचिकाकर्तागण ने लंबे समय से उक्त भूमि पर अपनी दुकानें/आवासीय मकान बनाए हैं और वे उस पर काबिज हैं। याचिकाकर्तागण-पुरुषोत्तम सरीन और कुमारी उर्वशी अग्रवाल ने स्वयं अपनी याचिकाओं में और साथ ही प्रत्युत्तर में भी स्वीकार किया है कि वे अनुमेय कब्जे

में हैं। यद्यपि, याचिकाकर्ता जीवराखन पंसारी पूर्व स्वामी द्वारा उनके पक्ष में निष्पादित वि-क्रय विलेख के आधार पर अधिकार का दावा करते हैं। अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि मालिकों का संबंधित संपत्ति पर कोई विधिक अधिकार था।

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1574/09 के याचिकाकर्तागण ने अनुलग्नक पी-1 के दस्तावेज संलग्न किए हैं जो कन्हैयालाल और गोपाललाल के पक्ष में भवन निर्माण के प्र-योजनों के लिए अंतर-नगरीय नजूल के लिए दिनांक 7.10.1976 को निष्पादित एक पट्टा है। उन्होंने पट्टाधारक द्वारा परसराम के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख और नजूल अधिकारी के आदेश को भी प्रस्तुत किया है जिसके अधीन संबंधित भूमि को परसराम के नाम पर नामान्तरण करने का निर्देश दिया गया है और जिसके आधार पर दिनाँक 12.9.1991 के आदेश के अधीन परसराम के नाम पर नामान्तरण किया गया है। इसके बाद, दिनांक 22.1.2007 के आदेश के अधीन उक्त परसराम द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर भूमि को याचिकाकर्ता क्रमांक 1-दिनेश कुमार के नाम पर आगे नामान्तरण किया गया है। यद्यपि, अनुलग्नक पी-1 के दस्तावेजों के संबंध में याचिका में कोई विशेष दलील नहीं है। याचिकाकर्तागण ने अपनी याचिका में यह भी दावा किया है कि उन्होंने अपने पक्ष में पट्टा विलेख के आगे नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था और उन्हें ज्ञात हुआ है कि पट्टा विलेख के नवीनीकरण के उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है। उत्तरवादीगण ने अपने लिखित निवेदन में यह भी कहा है कि पट्टा विलेख के नवीनीकरण के लिए आवेदन दिनाँक 13.2.2009 को अस्वीकार कर दिया गया है और पट्टा विलेख के नवीनीकरण के आवेदन के आधार पर दर्ज की गई कार्यवाही की पूरी आदेश पत्रक भी प्रस्तुत कर दी गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादी निगम द्वारा प्रस्तुत उत्तर तथा पक्षकारों के मध्य विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए बुलाई गई बैठकों के विवरण के परिशीलन से यह पाया गया है कि उत्तरवादी प्रभावित व्यक्तियों के समुचित पुनर्वास के लिए तैयार और इच्छुक हैं।

यह सत्य है कि अधिनियम, 1956 की धारा 322/323 के अधीन सूचना दिनाँक 13.2.2009 को जारी किया गया था और याचिकाकर्तागण को दो दिनों के भीतर अपने अवैध अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था, अन्यथा निगम द्वारा बिना किसी सूचना के उनके खर्चे पर अतिक्रमण हटा दिए जाएंगे और तदनुसार रविवार को अवधि समाप्त होने पर अतिक्रमण हटा दिए गए। उत्तरवादीगण ने सामूहिक रूप से दिनांक 13.5.2008, 15.5.2008 और 22.5.2008 की बैठकों के कार्यवृत्त प्रस्तुत किए हैं। याचिकाकर्तागण ने अपने प्रत्युत्तर में दिनांक 13.5.2008 और 15.5.2008 की उपरोक्त बैठकों में दर्ज कार्यवाही को विवादित नहीं किया है जिसमें याचिकाकर्ता-पुरुषोत्तम सरीन और अन्य सदस्य, व्यापारी और स्टेशन रोड व्यापारी संघ के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। उक्त बैठकों में व्यापारियों को इस तथ्य से भी अवगत कराया गया था बैठक में सड़क के चौड़ीकरण से प्रभावित होने वाले व्यापारियों के नाम भी दर्ज किए गए हैं। प्रभावित व्यक्तियों को उनके कब्जे से संबंधित सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया और बैठक दिनाँक 22.5.2008 के लिए स्थगित कर दी गई। याचिकाकर्तागण द्वारा स्वयं प्रस्तुत दस्तावेजों के परिशीलन से ज्ञात होता है कि संबंधित हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत अतिक्रमण रिपोर्ट के आधार पर संबंधित तहसीलदार द्वारा संहिता, 1959 की धारा 133 के अधीन 64 व्यक्तियों के खिलाफ उसी भूमि के संबंध में अर्थात खसरा क्रमांक 241 के संबंध में व्यक्तियों पर अतिक्रमण हटाने के लिए सूचना जारी किया गया था। यद्यपि, उक्त कार्यवाही को अनावेदकों की इस आपत्ति के कारण छोड़ दिया गया कि नगर क्षेत्र के अतिक्रमणों को संहिता, 1959 की धारा 133 के अधीन नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि अधिनियम, 1956 में उपरोक्त उद्देश्य के लिए एक प्रावधान है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.पी. शर्मा ने पूरजोर रुप से तर्क किया कि धारा 322 के प्रावधान, जो स्थायी संरचना के संबंध में क़ानून में लाए गए थे, और योजना, 2021, का कोई भूतलक्षी आवेदन नहीं है।

31. उपरोक्त तर्क को खारिज करते हुए, श्री अग्रवाल ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्तागण ने अधिनियम, 1956 की धारा 322 के अधीन उन्हें जारी किए गए सूचना पर आपत्ति नहीं जताई है। याचिकाकर्ता-पुरुषोत्तम सरीन ने धारा 322 के अधीन सूचना भी प्रस्तुत नहीं किया है और इसलिए, धारा 322 के भूतलक्षी आवेदन के संबंध में उनकी आपत्तियों पर इन याचिकाओं में विचार नहीं किया जा सकता है।

32. सभी रिट याचिकाओं में अनुतोष खंड के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्तागण ने अधिनियम, 1956 की धारा 322 के अधीन सूचना को रद्द करने की प्रार्थना नहीं की है। वैसे भी, धारा 322 सड़कों पर अवरोधों पर प्रतिषेध लगाती है, जो निम्नानुसार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

" 322. सड़कों पर अवरोध उत्पन्न करने का प्रतिषेध। (1) कोई भी व्यक्ति, आयुक्त द्वारा इस संबंध में दी गई लिखित अनुमति के बिना और ऐसी शर्तों के अनुसार, जिसमें किराया या फीस का संदाय भी शामिल है, जो वह इस संबंध में सामान्यतः या विशेष रूप से लागू कर सकता है:-

(क) किसी भी सड़क पर कोई दीवार, बाड़, रेलिंग, पोस्ट, सीढ़ी, बूथ या अन्य संरचना, चाहे वह स्थिर हो या चल, या स्थायी या अस्थायी प्रकृति की हो, या कोई भी स्थिरता खड़ी या स्थापित करना जिससे कि ऐसी सड़क, चैनल, नाली, कुएं या टैंक में बाधा उत्पन्न हो, या उस पर अतिक्रमण हो, या उसके ऊपर कोई उभार हो, या उसके किसी भाग पर कब्जा हो।"

उप-धारा (2) उप-धारा (1) के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करती है, जबकि उप-धारा (3) आयुक्त को ऐसी सूचना देने के बाद किसी भी अवरोध या अतिक्रमण को हटाने का अधिकार देती है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। इसलिए, इस न्यायालय के सुविचारित अभिमत में, यदि किसी व्यक्ति द्वारा स्थायी संरचना के निर्माण से सड़कों में अवरोध उत्पन्न होता है, तो उस पर अधिनियम, 1956 की धारा 322 के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है, भले ही अवरोध अधिनियम, 1956 के लागू होने से पहले भी मौजूद था या नहीं। 1994 से पहले असंशोधित अधिनियम में इस शक्ति के अभाव का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि 30.5.1994 से पहले किया गया कोई भी अवरोध निहितार्थ से नियमित हो गया

था। इस तरह की व्याख्या नगर निगम को पुराने अवरोधों को हटाने में पूरी तरह से शक्तिहीन बना देगी और योजना, 2021 को लागू करना असंभव होगा।

33. जहां तक याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता के अगले तर्क का संबंध है कि उत्तरवादी निगम ने अत्यंत मनमाने और दुर्भावनापूर्ण तरीके से कार्य करते हुए शुक्रवार अर्थात् दिनांक 13.2.2009 को याचिकाकर्तागण को दो दिन का सूचना जारी किया, जिसमें उनसे संरचना को हटाने के लिए कहा गया, अन्यथा उत्तरवादी निगम द्वारा उसे हटा दिया जाएगा और निगम द्वारा किए गए व्यय याचिकाकर्तागण से वसूल किए जाएंगे और उसके बाद, दिनाँक 15.2.2009 अर्थात् रविवार को परिसर खाली करने के लिए आधे घंटे का सूचना देकर 3 डी मशीनों और बुलडोजरों का उपयोग करके उपरोक्त अवधि की समाप्ति के बाद दुकानों/इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया, संबंधित पक्षकारों की अभिवचनों से निर्विवाद तथ्य निम्नानुसार निकाले जा सकते हैं: -

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

i. वर्ष 1992 में, संबंधित क्षेत्र के 27 निवासियों ने एक रिट याचिका प्रस्तुत कर उत्तरवादी-निगम को नजूल भूमि पर उनके शांतिपूर्ण कब्जे में बाधा डालने से रोकने का अनुरोध किया था। उत्तरवादी द्वारा कोई उत्तर न दिए जाने और उत्तरवादी निगम के विद्वान अधिवक्ता के तर्क प्रस्तुत करने पर, याचिका का निराकरण इस निर्देश के साथ किया गया कि यदि उत्तरवादी सड़क चौड़ीकरण के लिए यह भूमि चाहते हैं, तो उन्हें विधि के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए और मनमानी नहीं करनी चाहिए।

ii. अधिनियम, 1973 की धारा 18(1) के साथ धारा 23 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, योजना, 2021 अक्टूबर, 2007 में प्रकाशित की गई थी और सामान्य नागरिकों से आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित किए गए थे। आपत्तियों पर सुनवाई विकास योजना समिति द्वारा दिसंबर, 2007 में की गई और समिति की अनुशंसा और निदेशक की रिपोर्ट के अनुसार, योजना 2021 को दिनांक 7.4.2008 को अधिसूचित किया गया और चूँकि यह लागू है, योजना 2021 के अनुसार, सुभाष मार्ग की चौड़ाई, जहाँ वादग्रस्त दुकानें स्थित हैं, 25 मीटर है।

iii. रेलवे स्टेशन क्षेत्र की यातायात संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु कलेक्टर, रायपुर द्वारा दिनाँक 13.5.2008 को बुलाई गई बैठक में सुभाष मार्ग व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों, नगर निगम आयुक्त और अन्य ने भाग लिया। उस बैठक में भी योजना, 2021 के अनुसार सुभाष मार्ग के चौड़ीकरण पर चर्चा की गई और इस संबंध में व्यापारियों से सुझाव आमंत्रित किए गए। दिनाँक 15.5.2008 को फिर से बैठक बुलाई गई जिसमें सड़क के चौड़ीकरण से प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों पर चर्चा की गई और व्यापारियों के प्रतिनिधियों से उनके स्वत्व से संबंधित दस्तावेज और राजस्व अधिकारियों के समक्ष लंबित प्रकरणों का विवरण प्रस्तुत करने को कहा गया। उक्त बैठक में, प्रभावित दुकानदारों की सूची भी उनके पुनर्वास के प्रयोजनार्थ मांगी गई और बैठक को उस तिथि तक के लिए स्थगित कर दिया गया। यद्यपि, व्यापारियों के प्रतिनिधियों ने अगली तारीख तक भाग लेना बंद कर दिया और इन परिस्थितियों में, दिनाँक 22.5.2008 की बैठक में, अनुविभागीय दण्डाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर कि ग्यारह दुकानदारों ने अपने स्वत्व के बारे में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है और तहसीलदार, रायपुर की आगे की रिपोर्ट पर कि खसरा नंबर 241 की भूमि पर अतिक्रमण है, जो अभिलेख में सड़क के लिए भूमि के रूप में दर्ज है, रेलवे स्टेशन क्षेत्र में मुक्त मार्ग के लिए व्यापक सार्वजनिक हित में अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

iv. संबंधित हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 23.5.2008 के माध्यम से सार्वजनिक मार्गपर अतिक्रमण करने वालों की सूची प्रस्तुत की, जिसमें अतिक्रमण के क्षेत्र का विवरण दिया गया था।

v. संबंधित क्षेत्र के पांच निवासियों द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका का निराकरण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 9.2.2009 को उत्तरवादी निगम की ओर से दिए गए कथन को दर्ज करने के बाद किया गया था कि याचिकाकर्तागण के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाएगा और उन्हें विधि की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना बेदखल नहीं किया जाएगा।

vi. अतिरिक्त तहसीलदार, रायपुर ने हल्का पटवारी की अतिक्रमण रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें बताया गया था कि खसरा क्रमांक 241 पर स्थित सार्वजनिक मार्ग पर 64 व्यक्तियों ने अतिक्रमण किया है, याचिकाकर्ता पुरुषोत्तम सरीन व अन्य के विरुद्ध अतिक्रमण हटाने हेतु संहिता, 1959 की धारा 133 के अंतर्गत कार्यवाही दर्ज की और उन्हें सूचना भी दिया गया। यद्यपि, कुछ सूचना

प्राप्तकर्ताओं की आपत्तियों पर, दिनाँक 11.2.2009 को कार्यवाही इस टिप्पणी के साथ समाप्त कर दी गई कि वादग्रस्त भूमि नगर निगम सीमा में स्थित है, जबकि संहिता, 1959 की धारा 133 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्र से सड़क, गलियों या सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए किया जा सकता है और नगर क्षेत्र में सड़कों पर अतिक्रमण हटाने के प्रावधान अधिनियम, 1956 के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

vii. दिनांक 13.2.2009 को अधिनियम, 1956 की धारा 322 और 323 के अधीन याचिकाकर्तागण सहित अतिक्रमणकारियों को सूचना जारी किया गया था जिसमें उन्हें दो दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था और उनके विफल होने पर दिनांक 15.2.2009 को रविवार के दिन निगम द्वारा अतिक्रमण हटा दिए गए थे।

34. याचिकाकर्ता यह घोषित करने का दावा कर रहे हैं कि विचाराधीन नजूल भूमि पर उनका वैध कब्ज़ा है और उत्तरवादीगण को याचिकाकर्तागण द्वारा निर्मित संरचना को गिराने से रोका जाए। जबकि, उत्तरवादीगण ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्तागण का वादग्रस्त भूमि पर कोई विधिक अधिकार नहीं है और वे सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण कर रहे हैं। यह न्यायालय पहले ही यह अभिनिर्धारित कर चुका है कि याचिकाकर्तागण ने वादग्रस्त भूमि के संबंध में कोई अधिकार अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सके कि दशकों से उनके पास अनुमेय कब्ज़ा है, यह तथ्य का अत्यधिक विवादित प्रश्न है और इस प्रकार की कार्यवाही में इस पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए साक्ष्य दर्ज करने की आवश्यकता होती है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

35. श्री बी.पी. शर्मा ने पूरजोर रुप से तर्क दिया है कि उत्तरवादी क्रमांक 4 ने उत्तरवादी क्रमांक 5 के कहने पर, बिना कोई कारण बताओ सूचना जारी किए और सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना, याचिकाकर्तागण सहित 64 दुकानदारों की दुकानें/भवन, क्षेत्र के अन्य निवासियों द्वारा प्रस्तुत एक रिट याचिका में दिए गए पूर्व वचन के विपरीत, दुर्भावनापूर्वक ध्वस्त कर दिए। अपने अभिवचन को पुष्ट करने के लिए, उन्होंने अधिनियम, 1956 की धारा 322 के अधीन जारी किए गए सूचना का संदर्भ दिया, जो शुक्रवार शाम को जारी किया गया था, जिसके अधीन याचिकाकर्तागण को दो दिवस के भीतर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था और अंततः, दो दिवस के उपरांत रविवार को निगम द्वारा अतिक्रमण हटा दिए गए।

36. इस न्यायालय के विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या उत्तरवादी निगम की उपरोक्त कार्रवाई दुर्भावना से प्रेरित थी या यह व्यापक जनहित में अति उत्साही निगम द्वारा की गई प्रक्रियागत अनियमितता है? प्रश्न यह है कि यदि यह माना भी जाए कि अधिनियम, 1956 की धारा 322 के अंतर्गत सूचना प्राकृतिक न्याय के स्थापित सिद्धांतों और दूसरे पक्ष को भी सुने जाने के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, तो क्या उत्तरवादीगण को उस निर्माण को बहाल करने का निर्देश दिया जा सकता है, जिसे उन्होंने ध्वस्त कर दिया था, और साथ ही उस नुकसानी की मात्रा निर्धारित करने का भी, जिसके लिए याचिकाकर्ता हकदार हैं?

37. नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी बनने के बाद रायपुर शहर के तेजी से विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार योजना, 2021 की कल्पना, तैयारी और अधिसूचना की गई थी। योजना 2021 के अनुसार, सुभाष मार्ग की चौड़ाई 25 मीटर है। सड़क रायपुर रेलवे स्टेशन से सटी हुई है। क्षेत्र में भारी यातायात को विचार में रखते हुए, जिला प्रशासन और निगम ने समस्या का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए मई, 2008 में व्यापारियों के साथ बैठकें कीं। व्यापारियों से सुझाव आमंत्रित किए गए, उन्हें उन लोगों के बारे में भी अवगत कराया गया जो सड़क चौड़ीकरण के कारण प्रभावित होने की संभावना है। प्रभावित व्यापारियों के पुनर्वास का प्रस्ताव भी बनाया गया था। याचिकाकर्ता और अन्य, कुल 64 लोग सड़क के चौड़ीकरण से प्रभावित हैं। प्रशासन ने योजना, 2021 को लागू करने के प्रयोजनार्थ व्यापक जनहित में कार्य किया है। उत्तरवादी क्रमांक 5 ने अपने प्रति-शपथपत्र में याचिकाकर्तागण के विरुद्ध व्यक्तिगत दुर्भावना के आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन किया है। अन्यथा भी, परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय याचिकाकर्तागण के इस तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है कि उत्तरवादी निगम ने दुर्भावनापूर्ण कार्य किया है। यदि याचिकाकर्तागण द्वारा उत्तरवादी निगम को निर्माण को, जैसा कि ध्वस्त करने से पूर्व था, बहाल करने का निर्देश देने की प्रार्थना स्वीकार की जाती है, तो उस स्थिति में व्यापक जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और सड़क की चौड़ाई पहले की तरह कम हो जाएगी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

38. याचिकाकर्तागण ने उत्तरवादीगण द्वारा उनकी दुकानों/आवासों को अवैध रूप से ध्वस्त करने में की गई चूक के लिए उचित मुआवजे का भी दावा किया है। चूँकि यह न्यायालय पहले ही यह मान चुका है कि याचिकाकर्तागण द्वारा दावा किया गया विधिक अधिकार एक विवादित तथ्यात्मक प्रश्न है और अभिलेखों में उपलब्ध किसी भी सामग्री के अभाव में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन कार्यवाही में इसका

निर्णय नहीं किया जा सकता, इसलिए याचिकाकर्तागण को मिलने वाले हर्जाने/क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, का आकलन करना संभव नहीं है और याचिकाकर्ता सक्षम न्यायालय में उपयुक्त व्यवहार वाद प्रस्तुत करके उन अनुतोषों का दावा कर सकते हैं जिनका उन्होंने इन याचिकाओं में दावा किया है।

39. उपर्युक्त कारणों से, इन याचिकाओं में याचिकाकर्तागण द्वारा दावा की गई कोई भी अनुतोष वर्तमान कार्यवाही में प्रदान नहीं की जा सकती। ये याचिकाएँ खारिज किए जाने योग्य हैं और तदनुसार, इन्हें खारिज किया जाता है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

सही/-
धीरेंद्र मिश्रा
न्यायाधीश
22-4-2009

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By; Vikeshveri

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur